पत्रांक–7/स्था0–4–02/2019 सा0प्र0..................

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

गुफरान अहमद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महानिबंधक,
उच्च न्यायालय, पटना

पटना–15, दिनांक........................

विषय :– **बिहार उच्च न्यायिक सेवा एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) के पदों पर सीधी नियुक्ति में किये गए आरक्षण के आलोक में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण एवं महिलाओं के लिए क्रमशः 35 एवं अस्थि विकलांग के लिए 1 (एक) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन की प्रक्रिया निर्धारित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–17282 दिनांक 28.12.2016 एवं अधिसूचना संख्या–17283 दिनांक 28.12.2016 के द्वारा क्रमशः बिहार उच्च न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2016 के अन्तर्गत न्यायिक सेवा के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु 50 प्रतिशत खुली गुणागुण कोटि से तथा 50 प्रतिशत आरक्षित कोटि से व सभी वर्गों की महिलाओं हेतु 35 प्रतिशत एवं अस्थि विकलांगों के लिए 1 (एक) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पद पूर्व में अनुमान्य कराये गये थे।

बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2020 एवं बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020 में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराया गया है।

तदालोक में बिहार उच्च न्यायिक सेवा एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) के पदों पर सीधी नियुक्ति में 40 प्रतिशत खुली गुणागुण कोटि से, 10 प्रतिशत (वर्तमान रिक्ति का) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तथा अनुसूचित जाति के लिए–16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए–1 प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए–21 प्रतिशत एवं पिछड़ा वर्ग के लिए–12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही सभी वर्गों की महिलाओं हेतु 35 प्रतिशत एवं अस्थि विकलांगों के लिए 1 (एक) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नियमावलियों के प्रावधानों के अनुसार सीधी भर्त्ती हेतु 100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर तैयार कर पत्र के साथ परिशिष्ट–'क' के रूप में संलग्न किया जाता है।

अनुलग्नकः–यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–4–02/2019 सा0प्र0.../पटना–15, दिनांक........................

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को पत्र की दो प्रतियों एवं सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–4–02/2019 सा0प्र0.........12887............./पटना–15, दिनांक 28-10-21

प्रतिलिपि–सभी संबंधित प्राधिकार एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 28/10/21
सरकार के उप सचिव।

D/DRIVE/SEC-07/U.S. & D.S.

परिशिष्ट–'क'

बिहार उच्च न्यायिक सेवा एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए 100 बिन्दुओं का आदर्श रोस्टर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के लिए कर्णांकित रोस्टर बिन्दु :–

1. अनारक्षित
2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
3. **अनारक्षित (महिला)**
4. अनुसूचित जाति
5. अनारक्षित
6. पिछड़ा वर्ग
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
8. **अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)**
9. **अनारक्षित (महिला)**
10. **अनुसूचित जाति (महिला)**
11. अनारक्षित
12. **पिछड़ा वर्ग (महिला)**
13. अनारक्षित
14. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
15. **अनारक्षित (महिला)**
16. अनुसूचित जाति
17. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
18. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
19. अनारक्षित
20. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
21. **अनारक्षित (महिला)**
22. पिछड़ा वर्ग
23. अनारक्षित
24. **अनुसूचित जाति (महिला)**
25. अनारक्षित
26. **अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)**
27. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)**
28. **अनुसूचित जाति**
29. अनारक्षित
30. पिछड़ा वर्ग
31. अनारक्षित
32. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
33. **अनारक्षित (महिला)**
34. अनुसूचित जाति
35. अनारक्षित
36. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
37. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
38. **पिछड़ा वर्ग (महिला)**
39. **अनारक्षित (महिला)**
40. **अनुसूचित जाति (महिला)**
41. अनारक्षित
42. **अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)**
43. अनारक्षित
44. अनुसूचित जनजाति
45. **अनारक्षित (महिला)**
46. पिछड़ा वर्ग
47. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
48. अनुसूचित जाति
49. **अनारक्षित (महिला)**
50. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
51. अनारक्षित
52. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
53. अनारक्षित
54. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
55. **अनारक्षित (महिला)**
56. अनुसूचित जाति
57. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
58. पिछड़ा वर्ग
59. अनारक्षित
60. **अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)**
61. **अनारक्षित (महिला)**
62. **अनुसूचित जाति (महिला)**
63. अनारक्षित
64. **पिछड़ा वर्ग (महिला)**
65. अनारक्षित
66. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
67. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)**
68. अनुसूचित जाति
69. **अनारक्षित (महिला)**
70. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
71. अनारक्षित
72. पिछड़ा वर्ग
73. **अनारक्षित (महिला)**
74. अनुसूचित जाति
75. अनारक्षित
76. **अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)**
77. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
78. **अनुसूचित जाति (महिला)**
79. **अनारक्षित (महिला)**
80. पिछड़ा वर्ग
81. अनारक्षित
82. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
83. अनारक्षित
84. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
85. **अनारक्षित (महिला)**
86. अनुसूचित जाति
87. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
88. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
89. अनारक्षित
90. **पिछड़ा वर्ग (महिला)**
91. **अनारक्षित (महिला)**
92. अनुसूचित जाति
93. अनारक्षित
94. **अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)**
95. अनारक्षित
96. पिछड़ा वर्ग
97. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)**
98. **अनुसूचित जाति (महिला)**
99. अनारक्षित
100. **अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)**